

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी  
हुए

15.10.25

पत्रावली पेश हुई।

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, जिस पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कुम्हारो की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 76 व 77 कुल रकबा 5.1578 हैक्टेयर भूमि में निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	कमला पत्नी जयसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा.दरबला खातेदार, महेन्द्रसिंह पुत्र हनवंतसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा.देह खातेदार, हरिसिंह पुत्र हनवंतसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	76 77	0.1584 2.8503	केसरिया
	योग	2	3.0087	
2	तगुदेवी पत्नी दरगाराम हिस्सा 7880/21491 जाति रबारी सा. देह खातेदार, लीलादेवी पत्नी मोडाराम हिस्सा 7880/21491 जाति रबारी सा.देह खातेदार, सांगाराम पुत्र दरगाराम हिस्सा 5731/21491 जाति रबारी सा. देह खातेदार	77	2.1491	पीला
	योग	1	2.1491	पीला

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O) सिवाना



## डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व  
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. युवानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी आईपुरा तहसील आहोर जिला जालोर
2. सतपालसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी आईपुरा तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. तगुदेवी पत्नी दरगाराम
2. मफरीदेवी पत्नी हेमाराम
3. मोडाराम पुत्र दरगाराम
4. सांगाराम पुत्र दरगाराम
5. हेमा पुत्र उकाजी

कौम रबारी निवासीगण कुम्हारों की ढाणी

6. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.मोकलसर
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नंबर :-36/2019

निर्णय दिनांक :- 15.10.25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम कुम्हारों की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 76 व 77 रकबा कुल रकबा 5.1578 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	कमला पत्नी जयसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा. दरबला खातेदार, महेन्द्रसिंह पुत्र हनवंतसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा.देह खातेदार, हरिसिंह पुत्र हनवंतसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	76 77	0.1584 2.8503	केसरिया
	योग	2	3.0087	केसरिया
2	तगुदेवी पत्नी दरगाराम हिस्सा 7880/21491 जाति रबारी सा.देह खातेदार, लीलादेवी पत्नी मोडाराम हिस्सा 7880/21491 जाति रबारी सा.देह खातेदार, सांगाराम पुत्र दरगाराम हिस्सा 5731/21491 जाति रबारी सा.देह खातेदार	77	2.1491	पीला
	योग	1	2.1491	पीला

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.10.2025 को जारी की गई।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) सिवाना

